

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 81/12

संस्थापन दिनांक:-09/02/12

फाईलिंग नं. 233504000612012

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. कंचन पिता घुड़िया मेहरा, उम्र 21 वर्ष
 2. संतोष पिता रामचरण मेहरा, उम्र 34 वर्ष
- दोनों निवासी बोड़खी, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 16.02.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 341, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.02.2012 को करीब 09:30 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोहार मोहल्ला बोड़खी में लोक स्थान या उसके समीप सूचनाकर्ता राजेश को अश्लील शब्द मां की गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ पहुंचाया एवं सूचनाकर्ता राजेश का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं सूचनाकर्ता राजेश की उपहति कारित करने का सामान्य आशया बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में राजेश की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सूचनाकर्ता राजेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कातिर किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राकेश के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2017 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। यह निर्णय केवल अभियुक्तगण कंचन एवं संतोष के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.02.2012 को रात करीब 09:10 बजे अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते पर उसे अभियुक्तगण मिले और उसे अभियुक्त राजेश ने पकड़ लिया और मादरचोद बहनचोद की गाली दी। तभी अभियुक्त कंचन एवं संतोष ने उसे लाठी से मारना

शुरू कर दिया। तभी तुलसीराम और प्रीतम आये जिन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गये। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 50/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी राजेश का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
6. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी राजेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
7. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

6 राजेश (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

7 साक्षी/फरियादी राजेश (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी राजेश (अ.सा.-2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी राजेश (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06 एवं 07 का निराकरण

9 राजेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त कंचन और संतोष ने उसका हाथ पकड़ा था और अभियुक्त राकेश ने उसे सिर पर लाठी मारा था। दांये आंख के पास और पैरों की पिंढली पर भी लकड़ी से मारपीट की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 04.02.2012 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत राजेश का परीक्षण किये जाने पर उसकी दांयी जांघ पर 4 गुणा 3 सेमी, 2 गुणा 2 सेमी., 4 गुणा 3 सेमी., 2 गुणा 2 सेमी., 5 गुणा 2 सेमी. 4 गुणा 2 सेमी, 2 गुणा 2 सेमी. आकार के खरोच के निशान तथा सिर के दोनो तरफ 2 गुणा 2 सेमी. एवं 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) को प्रमाणित किया है।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.02.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 50/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

12 श्यामलाल साहू (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.02.2012 को पुलिस चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 50/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री-3 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

13 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी ने ही अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार कर दिया है। फरियादी स्वयं अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे अभियोजन कथा से संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

14 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में साक्षी तुलसीराम (अ.सा.-1) एवं प्रीतम (अ.सा.-3) ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अभिलेख पर मात्र फरियादी/आहत राजेश झा (अ. सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत द

टटना का सर्वोत्तम साक्षी होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

15 राजेश झा (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह बाजार से अपने घर की ओर आ रहा था तभी अभियुक्तगण ने उसे रास्ते में रोका था और अभियुक्त कंचन और संतोष ने उसका हाथ पकड़ लिया था और लकड़ी से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण एक साथ खड़े थे, उसे अभियुक्त राकेश ने आवाज दी थी और अभियुक्त राकेश ने ही उसके साथ मारपीट की थी। लकड़ी से अभियुक्त राकेश ने मारा था। अभियुक्त कंचन और संतोष के द्वारा लकड़ी से मारपीट करने की बात पुलिस कथन में क्यों लिखी है, इसका वह कारण नहीं बता सकता। पुनः से साक्षी ने यह बताया है कि उसे केवल अभियुक्त राकेश ने मारा था। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त राकेश की कार्यवाही पृथक कर दी गयी है तथा इस प्रकरण में फरियादी ने अभियुक्त राकेश के द्वारा ही उसके साथ मारपीट किया जाना अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है। साथ ही फरियादी ने अभियुक्त कंचन और संतोष के द्वारा मारपीट न करना बताया है और पुलिस को भी उक्त बात न बताया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं फरियादी ने ही अभियुक्त कंचन एवं संतोष के द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार किया है। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त कंचन एवं संतोष ने राजेश का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण कंचन एवं संतोष ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप सूचनाकर्ता राजेश को अश्लील शब्द मां की गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ पहुंचाया एवं सूचनाकर्ता राजेश का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित

किया एवं सूचनाकर्ता राजेश की उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में राजेश की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सूचनाकर्ता राजेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण कंचन एवं संतोष को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 341, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19 प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त राजेश फरार है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)